कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री लल्लू सिंह पूर्बिया, एडवोकेट निवासी ग्राम पोस्ट पीपल्दा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर राज0 बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लालसोट जिला दौसा
अपील संख्या 79/2021

निर्णय दिनांक 11.11.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लालसोट जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/ सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लालसोट जिला दौसा से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को इस कार्यालय के पत्र कमांकःडीएम कोर्ट/2021/ 2498 दिनांक 14.10.2021 एवं स्मरण पत्र कमांकः 2632 दिनांक 02.11.2021 द्वारा पत्र जारी कर प्रार्थी को वांछित नकल उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट चाही गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा पत्र कमांकःभू0अ0/21/8106 दिनांक 21.10.2021 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है कि आवेदक के द्वारा चाही गई सूचना व्यक्ति विशेष की है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 8(1) के अनुसार जिसका संबंध वैयक्तिक सूचना से है, जिसके प्रकरण का किसी लोक कियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है, या जिसे किसी व्यक्ति की निजता में अनपेक्षित हस्तक्षेप होता है। जब तक कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या या अन्य लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति अपील अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि जन लोक हित में ऐसी सूचना का प्रश्न न्यायोचित है। अतः व्यक्ति विशेष की सूचना होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत देय नहीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना व्यक्ति विशेष की होने से सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा